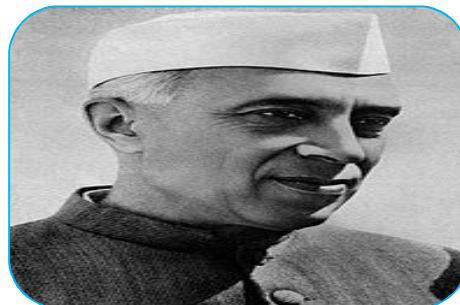




स्वाधीन भारत के निर्माण में पं० जवाहर लाल नेहरू का योगदान (सिंहावलोकन)

यादवेंद्र कुमार आर्य
असिस्टेंट प्रोफेसर राजनीति विज्ञान,
गया प्रसाद स्मारक राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
अंबारी आजमगढ़ उत्तर प्रदेश.

पंडित जवाहरलाल नेहरू ने स्वाधीन भारत के निर्माण में एक बहुआयामी योगदान दिया है जिसमें स्वतंत्रता आंदोलन में नेतृत्व, आधुनिक भारत में आधुनिक संस्थाओं की स्थापना, पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से आर्थिक विकास, वैज्ञानिक दृष्टि को प्रोत्साहन और गुट निरपेक्ष विदेश नीति निर्माण आदि को शामिल किया जाता है। उन्होंने स्वाधीन भारत की नींव को मजबूत करने के लिए औद्योगीकरण को बढ़ावा दिया। उन्होंने देश की गरीबी को कम करने हेतु प्रयास किए।



स्वतंत्रता के पश्चात जटिल समय में इतनी लम्बी अवधि तक धर्म, वर्ग और श्रेणियों इस विशाल देश का, जहां विषमताओं की भरमार है जहां भिन्न भिन्न वर्गों के आर्थिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक स्वार्थ एक-दूसरे से टकराते हैं प्रशासन करते हुए भी नेहरू जी ने अपनी लोकप्रियता बरकरार रखी।

शब्द की—स्वतंत्रता आंदोलन, पंचवर्षीय योजना, विदेशनीति, पंचशील, लोकतंत्र ।

प्रस्तावना—

जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर, 1889 को आनंद भवन इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनके पिता सुप्रसिद्ध वकील मोतीलाल नेहरू एवं माता श्रीमती स्वरूप रानी थीं। इनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा घर पर हुई। उच्च शिक्षा के लिए यह इंग्लैंड गए। वहां पर वे 1905 से 1912 तक रहे। वहाँ पर हैरो स्कूल एंड ट्रिनिटी कॉलेज से शिक्षा प्राप्त की। इन्होंने विज्ञान में ऑनर्स की डिग्री प्राप्त करके पुनः वकालत की डिग्री भी प्राप्त की।

यह अपनी शिक्षा काल के दौरान सिडनी वेव तथा बैट्रिस वेव की फेबियन समाजवादी विचारधारा से प्रभावित हुए। स्वदेश वापस आने के बाद वे देश को स्वतंत्र करवाने के लिए राष्ट्रीय आंदोलन में सहभाग करने के लिए 1912 में बांकीपुर (बिहार) में कांग्रेस अधिवेशन में शामिल हुए। वे गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका में किए गए रंगभेद विरोधी आंदोलन से काफी प्रभावित हुए। 1916 के लखनऊ कांग्रेस अधिनियम में महात्मा गांधी से मिले। 1918 में वह कांग्रेस महासचिव सदस्य चुनें गये।

1919 में रौलेट एक्ट एवं जालियां वाला हत्याकांड ने लोगों में असंतोष जब फैला तो इससे नेहरू जी प्रभावित हुए। इसी समय नेहरू जी पहली बार पैरवी पर ग्रामीण भारत में गाँव-गाँव घूमे और भारतीय लोगों की दयनीय दशा को देखा। इन्होंने गांधीजी के असहयोग आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। 1921 में कांग्रेस

को गैर कानूनी संस्था घोषित कर दिया गया। इन्हें इसी दौरान 6 दिसंबर 1921 को अपने पिता मोतीलाल नेहरू के साथ गिरफ्तार कर बंदी बना लिया गया हालांकि जब चौरी चौरा कांड के बाद आंदोलन गांधी जी के द्वारा वापस ले लिया गया तो नेहरू गांधी जी के कदम से सहमत नहीं थे।

वह कांग्रेस के युवा नेता थे। उन्होंने कांग्रेस का लक्ष्य देश के लिए औपनिवेशिक स्वराज्य के बजाय पूर्ण स्वाधीनता प्राप्त बना दिया। 1928 में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की। उन्होंने 1928 में लखनऊ में साइमन कमीशन विरोध में प्रदर्शन किया। 1929 में लाहौर के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की और देश के लिए पूर्ण स्वाधीनता के लक्ष्य की उद्घोषणा की।

गांधी जी के आन्दोलन सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में सक्रिय रूप से भाग लिया। इसके फलस्वरूप 1938 में समाजवादी विचारधाराओं के आधार पर इन्हें कांग्रेस की राष्ट्रीय योजना समिति का अध्यक्ष बनाया गया। 1939 में चीन की यात्रा पर गए। 1942 में गांधीजी के भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। इस प्रकार उन्होंने संविधान के लिये सभा में जवाहर लाल नेहरू से भारत के संविधान बनाने के लिये उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसम्बर 1946 को प्रस्तुत किया। भारत के स्वाधीन 1947 होने पर वह देश के पहले प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली और अपने अंतिम सांस 27 मई 1964 तक इसी पद पर बने रहे। (1)

पंडित जवाहर लाल नेहरू के व्यक्तित्व पर उनके पिता मोती लाल नेहरू, महात्मा गांधी एवं कार्ल मार्क्स के विचार का सबसे अधिक प्रभाव पड़ा। पिता से उन्हें दृढ़ता स्वाभिमान नेतृत्वशैली भय मिला। गांधी जी से उन्होंने भारतीय परिस्थितियों अहिंसात्मक आन्दोलन एवं मानववाद ग्रहण किया। मार्क्स से उन्होंने आर्थिक शक्ति के महत्व को स्वीकार किया। उनमें मानववाद पर रवींद्रनाथ टैगोर का भी काफी प्रभाव पाया जाता है। (2)

नेहरू के मन में निरंतर वैचारिक द्वन्द चलता रहता था। उनके विचार, आकांक्षाएं एवं निष्ठाएं लगातार वाह्य परिस्थितियों एवं घटनाओं से प्रभावित होती रहती थी और उसी के आधार पर चिंतन एवं लेखन चलता रहता था जैसे –

विश्व इतिहास की झलक 1934, आत्मकथा 1936, भारत की एकता 1941, भारत की खोज 1947 सोवियत रशिया 1928, लैटर्स फ्रॉम द फादर टू हिज डॉटर 1929, विचार इण्डिया 1933, इंडिया एंड द वर्ल्ड 1936, क्वेश्चंस ऑफ लैंग्वेज 1937, एरीन मक्स इन इंडिया 1938, चाइना स्पेन एंड द वार 1940, टूवर्ड्स फ्रीडम 1941, ए वंच ऑफ ओल्ड लैटर्स 1958, लैटर्स टू हिज सिस्टर्स 1963, विजिट टू अमेरिका 1950 (3)

डॉ राधा कृष्णन के अनुसार—नेहरू के मानवतावाद में चिंतन की सुकुमरता भावना की अद्वितीय कोमलता और मानव की उदार प्रवृत्तियों का अद्भूत मेल था। कमजोर एवं हताश व्यक्तियों के लिए उनके मन में अपार सहानुभूति थी।

के०पी० करुणाकरन के अनुसार—उन्होंने जनता के जीवन के साथ अपना जीवन व्यतीत कर अपने मानवतावाद को सिद्ध किया। उनके लिए कुछ और बड़ा नहीं था वे मानव सेवा के सर्वोत्कृष्ट धर्म मानते थे। उन्होंने मानवतावाद का झंडा उठाया।

महात्मा गांधी के अनुसार—जवाहरलाल नेहरू अपने ढंग से बेजोड़ शूर हैं। देशभक्ति के बारे में उनसे बढ़कर और कौन हैं जवाहरलाल स्फटिक के सदृश्य शुद्ध हैं। सच्चाई के विषय में शंका की जगह नहीं है वे एक निडर दोषों से रहित सेनापति हैं। जवाहर लाल तो बेताज बादशाह हैं जो हिन्दुस्तान को तो अपनी सेवा देना चाहते हैं उनके द्वारा समस्त संसार को भी सेवा देना चाहते हैं।

आचार बिनोवा भावे—गांधी के बाद उन्हीं का एक नाम है जो हिन्दुस्तान का नाम है। मैंने ऐसा राजनीतिज्ञ नहीं देखा जो घृणा एवं दुर्भावना से इतना मुक्त है। (4)

नेहरू की विचारधारा का मूल केंद्र मानव है। वे व्यक्ति को साध्य तथा शेष सभी को साधन मानते हैं चाहे वो राजा हो या राष्ट्र या अंतर्राष्ट्रीयता वे भारतीयों की दासता, गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी, शोषण और पिछड़ेपन को मिटाने के लिए ही राष्ट्र की सेवा में सदैव तत्पर रहे। इसी कारण वे आजीवन लोकतंत्रात्मक समाजवादी रहे। उनकी लोकतंत्र में गहरी आस्था थी। वे अपने देश और विश्व के सुखद भविष्य के प्रति गहरी आस्था थी। वे स्वयं अंधविश्वासों धार्मिक संकीर्णताओं सांप्रदायिक भावनाओं उग राष्ट्रवाद तथा निजी राग—द्वेषों से सदैव दूर रहे।

देश की प्रगति के लिए नेहरू जी ने आधारभूत उद्योग के राष्ट्रीयकरण के पक्ष में रहे। वे मानते थे कि औद्योगिक की वजह से देश के सामने समस्याएं आती हैं। उन कमियों को दूर करने के लिए उन्होंने सामुदायिक विकास योजनाओं एवं पंचायती राज के मार्ग को अपनाया जिसे लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के नाम से जाना जाता है। लोकतंत्रात्मक के विषय में नेहरू जी की धारणा गतिशील तथा व्यापक थी। उनके अनुसार लोकतंत्र को निरंतर विकास मान एवं गतिमान गद्यात्मक मानते थे वे केवल मताधिकार तक सीमित लोकतंत्र को आर्थिक समानता की ओर ले जाना चाहते थे। वे प्रत्येक व्यक्ति की क्षमता को समाज के सामर्थ्यवान व्यक्तियों के समान उंचा उठाना चाहते थे जिससे प्रत्येक व्यक्ति को समान अवसर प्राप्त हो सके। वे ऐसा मानते थे कि राज्य को सभी वर्गों के विकास के लिए आर्थिक नियोजन को अपनाना चाहिए। जिससे राज्य के लोक कल्याण और आदर्श को प्राप्त कर सके। लोकतंत्र का स्वरूप राजनीति के साथ-साथ आर्थिक और सामाजिक भी होता है। लोकतंत्र व्यापक समाज तक प्रभावी हो जैसे जातिवाद स्त्री पुरुषों में भेदभाव छुआछूत शहर ग्राम आदि का दोष नहीं होना चाहिए। आर्थिक क्षेत्र में पूंजीवादी केंद्रीकरण मजदूरों का शोषण कृषि एवं उद्योगों में भारी असमानता उद्योगों एवं लघु ग्रामीण तथा कुटीर उद्योगों में अधिक अन्तर आय की असमानताएं आदि कम से कम होनी चाहिए। राजनीति लोकतंत्र सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्रों में लोकतंत्र लाने का माध्यम होता है। राजनीतिक लोकतंत्र उन लक्ष्य तक पहुंचने का एक मार्ग है स्वयं कोई लक्ष्य नहीं है नेहरू जी के लिए लोकतंत्र एक जीवन पद्धति है। सोचने का तरीका है परिस्थितियों से निपटने का एक एक तरीका है तथा उन बातों को सहने करने का रास्ता है जिससे कई बार हम स्वयं पसंद नहीं करते।

इस प्रकार लोकतंत्र में आत्मअनुशासन होता है तथा शानितमय उपायों से काम किया जाता है।

नेहरू जी के लोकतन्त्रात्मक मूल्यों को उनके उद्देश्यों प्रस्ताव से समझा जा सकता है। वस्तुतः लोकतन्त्र कतिपय मूल्यों, मान्यताओं तथा नैतिक मानदण्डों का पुंज है। उनके अनुसार सभी के लक्ष्यों, कार्य करने की शैलियों, मूल्यांकन, करने के आधारों तथा व्यापक नैतिक धारणाओं की प्रधानता ही लोकतन्त्र का मूल आधार है। इसलिए आत्मानुशासन, संयम, सहिष्णुता, पारस्परिक सदभाव, विश्वास आदि को वरीयता दी जानी चाहिए। लोकतंत्र में परिवर्तन विचार-विमर्श के आधार पर किए जाते हैं हिंसा के द्वारा नहीं।

लोकतंत्र में वे संसदीय प्रणाली का अधिक उपयुक्त मानते हैं क्योंकि इसमें वाद विवाद द्वारा निर्णय जनमत संवेदनशील प्रशासन, जनप्रतिनिधित्व आदि को प्रमुखता मिलती है। इस व्यवस्था की कमियों को दूर करने के लिए व्यापक शिक्षा व्यवस्था, स्वतन्त्र प्रेस, आर्थिक समानता, कानून की सर्वोच्चता एवं कुशल प्रशासन द्वारा संसदीय लोकतंत्र को सफल बनाया जा सकता है।

लोकतांत्रिक समाजवाद की स्थापना के लिए नेहरू जी ने मिश्रित अर्थव्यवस्था के सिद्धान्त का प्रतिपादन किया। साम्यवादी विचारों के समर्थक होते हुए भी अर्थव्यवस्था के पूर्ण राष्ट्रीयकरण के पक्ष में नहीं थे किन्तु देश की सारी अर्थव्यवस्था को पूर्णतया पूंजीपतियों के ऊपर छोड़ देने के पक्ष में भी वह नहीं थे। गांधीजी के ट्रस्टीशिप के सिद्धान्त को अव्यावहारिक मानते थे इसलिए उनका विचार था कि जो अर्थव्यवस्था भारत के लिए होगी वो न तो पूर्णतया पूंजीवादी सिद्धान्तों पर आधारित होनी चाहिए ना ही पूरी तौर पर साम्यवादी। उन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था को दो भागों में विभक्त किया, एक भाग जो राष्ट्रीय के अंतर्गत और दूसरा निजी क्षेत्र के अन्तर्गत होगा। इसी व्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था के नाम से जाना गया।

नेहरू जी औद्योगिक वाद के प्रबल समर्थक थे। उनका मानना था कि बिना औद्योगिक उन्नति भारत जैसे विशाल देश की आर्थिक समस्याओं का निराकरण नहीं हो सकता।

1938 में उनके मस्तिष्क में आर्थिक नियोजन की बात सर्वप्रथम स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 1950 में योजना आयोग के संगठन का निर्माण किया जिसके माध्यम से पंचवर्षीय योजना को लागू किया गया जो भारत के सर्वांगीण विकास में लंबे समय तक लागू रही।

कल्याणकारी राज्य की परिकल्पना नेहरू के उस प्रयत्न का परिणाम है जिसके माध्यम से वे आर्थिक व्यवस्था के सिद्धान्तों का प्रयोग सामाजिक है। जिस समानता के उद्देश्य की पूर्ति के लिए करना चाहते थे इस व्यवस्था के अनुसार देश में जो भी कार्य किया गया आर्थिक अथवा राजनैतिक उद्देश्य उसका जनता की भलाई होना चाहिए। यह सिद्धान्त जन उपयोगिता के सिद्धान्त पर निर्भर है। आर्थिक लाभ के सिद्धान्त पर नहीं। उन्होंने कहा कि अगर किसी आर्थिक योजना के संचालन से आर्थिक लाभ की दृष्टि से नुकसान भी हो तो कोई हर्ज

नहीं है। शिक्षा, बागवानी सफाई कार्यक्रम स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रम आदि यदि इनसे सीधे तौर पर धन कमाने के साधन न हों तो इसकी परवाह नहीं करनी चाहिए बल्कि इसकी सफलता का मानदंड मात्र जनहित है।

गुट निरपेक्षता एवं पंचशील की नीति विश्व शांति के लिए उनकी अनुपम देन है जिसके द्वारा उन्होंने किसी गुट में शामिल न होकर निर्गुण शक्ति से शक्ति संतुलन बनाकर विश्व को युद्ध से बचाया और सारे उपायों से शांति की स्थापना के लिए आपसी झगड़ों का विचार विनिमय द्वारा निराकरण किया।

पंचशील के 5 सिद्धांतों की उत्पत्ति इन्हीं मुद्दों से हुई। यह सिद्धांत 29 अप्रैल 1954 को निर्धारित हुए—

1. एक दूसरे की सर्वभौमिकता और प्रादेशिक अखंडता का सम्मान
2. अनाक्रमण
3. दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना।
4. समानता और पारिस्परिक हितों का सम्मान।
5. शांतिपूर्ण सह अस्तित्व।

उन्होंने अपनी विदेश नीति के बारे में कहा कि “सबसे पहले ये बात मान लेनी चाहिए कि अणु बमों की खोज और वैज्ञानिक तरक्की की वजह से अंतर्राष्ट्रीय मामलों को हल करने के लिए युद्ध करीब बेकार हो चुका है क्योंकि आज लड़ाई का मतलब है सारी दुनिया की बर्बादी जिसमें किसी भी राष्ट्र या राष्ट्रों के गुट को जीतने या फायदा उठाने की कोई गुंजाइश नहीं है।

ब्रटेन रसेल ने कहा “नेहरू निर्मित गुट निरपेक्ष नीति में एक से अधिक बार दुनिया को तीसरे युद्ध से बचाया।”

इस प्रकार पंडित जवाहर लाल नेहरू ने भारत की स्वाधीनता के बाद भारत के पुनर्निर्माण हेतु जिन नीतियों का लागू किया जिससे भारत की सभी सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक समस्याओं को दूर करने हेतु उन्होंने वैज्ञानिक दृष्टिकोणों से दूर करने का प्रयास किया जिससे भारत को एक आत्मनिर्भर राष्ट्र के में तब्दील किया जा सके जो उस काल परिस्थितियों के अनुरूप हो।

सन्दर्भ सूची –

1. जवाहरलाल नेहरू एस आटोबायोग्राफी 1936
2. जवाहरलाल नेहरू हिन्दुस्तान की कहानी पृ० 872-72
3. जवाहरलाल नेहरू द डिस्कवरी ऑफ इण्डिया पृ० 12
4. शर्मा बी०एम०, शर्मा राम कृष्ण दत्त, शर्मा सविता, भारतीय राजनीतिक विचारक, रावत पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली पृ० 314-315
5. शर्मा बी०एम०, शर्मा राम कृष्ण दत्त, शर्मा सविता, भारतीय राजनीतिक विचारक, रावत पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली पृ० 316
6. शर्मा बी०एम०, शर्मा राम कृष्ण दत्त, शर्मा सविता, भारतीय राजनीतिक विचारक, रावत पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली पृ० 316-314
7. शर्मा बी०एम०, शर्मा राम कृष्ण दत्त, शर्मा सविता, भारतीय राजनीतिक विचारक, रावत पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली पृ० 319-320
8. डॉ० एम०सी० जोशी, गोंधी, नेहरू, टैगोर तथा अम्बेडकर अभिव्यक्ति प्रकाशन इलाहाबाद पृ० – 67
9. डॉ० एम०सी० जोशी, गोंधी, नेहरू, टैगोर तथा अम्बेडकर अभिव्यक्ति प्रकाशन इलाहाबाद पृ० – 69-71
10. डॉ० रणजीत, भारत के प्रख्यात नास्तिक, प्रकाशन संस्थान, नई दिल्ली पृ०-108
11. एस आटोबायोग्राफी 1936